

जारी कर दिया जाए.....  
Issued to.....

निजी गृहों ग्रामीण निवासों के लिए व्यक्तिगत जल टेप कनेक्शन का प्रपत्र  
APPLICATION FORM FOR INDIVIDUAL WATER TAP  
CONNECTION FOR PRIVATE BUILDINGS IN RURAL AREAS

कार्यपालक अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल  
अण्डमान लोक निर्माण विभाग, पोर्ट ब्लेयर  
The Executive Engineer  
PHED, APWD, Port Blair

सेवा में, To,  
कार्यपालक अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल  
अण्डमान लोक निर्माण विभाग, पोर्ट ब्लेयर  
The Executive Engineer  
PHED, APWD, Port Blair

महोदय,

कृपया सामान्य भुगतान पर मुझे मेरे घर एवं उसके सदृश्य भूमि पर व्यक्तिगत जल टेप कनेक्शन प्रदान करें आवश्यक विवरण उचित कार्यवाही हेतु नीचे प्रस्तुत की जाती है-

Sir,

Kindly provide an individual water tap connection in my House/premises on usual terms and conditions. Necessary details are given below for favour of further action.

1.	आवेदक का नाम (सरकारी रिकार्ड के अनुसार) Name of the applicant (as per revenue record)	
2.	पिता का नाम /पति का नाम Father's/Husbands Name	
3.	स्थानीय पता Postal Address	
4.	सर्वेक्षण संख्या / प्लॉट संख्या स्थिति, गाँव सरकारी रिकार्ड के अनुसार (साक्ष्य संलग्न करें) सत्यापित प्रति Survey No./Plot No. , Location, village as per revenue records(Proof to be attached Attested Xerox copies)	
5.	क्या गृह प्लॉट जहाँ जल टेप कनेक्शन की आवश्यकता है, आवेदनकर्ता को स्वयं के लिए चाहिए Whether the building plot where water tap connection required is owned by the applicant?	हाँ/नहीं Yes/No
6.	क्या पाईप कनेक्शन की आवश्यकता आवासीय/ व्यापारिक उद्देश्य हेतु है। Whether the pipe connection required for residential Commercial purpose.	
7.	क्या आंतरिक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है या नहीं Whether internal water supply installation done or not?	हाँ/नहीं Yes/No
8.	क्या रोड कटिंग की आवश्यकता है? यदि चाहिए तो रोड कटिंग की स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल, अ.लो.नि.वि. पोर्टब्लेयर से प्राप्त कर संलग्न करें। Whether road cutting required? If so, obtain and attach road cutting permission from Concerned Agency, Port Blair.	
9.	वितरण शाखा से गृह प्लॉट तक बिछाई गई पाईप की लंबाई, पाईप की आवश्यक नकदी रसीद भी संलग्न करें। Length of pipe laid down from distribution branch to building Plot.Necessary cash memo for purchase of pipe may be attached.	

कार्यालय प्रयोग के लिए  
FOR OFFICE USE ONLY

सहायक अभियन्ता, उप मण्डल संख्या .....लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल,को.....

संलग्न के साथ सूचनार्थ हेतु अग्रप्रेषित। उन्हें उस स्थान का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने की विनती की जाती है।

Forward to the Assistant Engineer, Sub-Division No..... PHED.with..... enclosures for information. He is requested to inspect the spot and send report.

कार्यपालक अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल  
अ.लो.नि.वि.पोर्ट ब्लेयर  
Executive Engineer  
PHED, APWD, Port Blair.

तथाकथित कनिष्ठ अभियंता द्वारा भरा जाना  
TO BE FILLED UP BY CONCERN JUNIOR ENGINEER

1.	क्या आवेदक ने पूर्व में ही कोई व्यक्तिगत जल टेप कनेक्शन लिया है। यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें। Whether the application had obtain any individual water tap connection previously.If so give details.	
2.	क्या कोई सरकारी हाईड्रेंट प्लॉट के बाद अस्तित्व में है। Whether any Public Hydrant exists next by the plot.	
3.	क्या प्रस्तावित पाईप लाईन वितरण शाखा से गृह/ प्लॉट तक सरकारी भूमि से होकर गुजरता है। Whether the proposed pipeline from distribution branch to bldg/plot is passing through Govt. land.	
4.	क्या रोड कटिंग की आवश्यकता है? Whether road cutting required?	
5.	किस शाखा लाईन से आई.टी.सी. प्रदान किया गया है? From which branch line the ITC to be provided.	
6.	संलग्न सरकारी नक्शे में अस्तित्व में आए शाखा लाईन एवं सड़क को दर्शाएं। Indicate the existing branch line and road in the enclosed Revenue map.	
7.	विचारक Remarks	

दिनांक  
स्थान  
Date:  
Place:

दिनांक सहित कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर  
Signature of Junior Engineer with Date

सहायक अभियन्ता के विचारक  
दिनांक  
स्थान

दिनांक सहित सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर  
Signature of Assistant Engineer with date

Remark by Assistant Engineer  
Date:  
Place:

मैंने निजी गृह/प्लॉट में जल कनेक्शन हेतु शर्तों को पढ़ा एवं इनसे संबंधित नियमों एवं कानूनों का पालन में समयपूर्वक करूँगा। अतः मुझे उपर्युक्त दर्शाए गए गृह/प्लॉट में आवश्यक जल टेप कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। मैं जल का भुगतान कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल या संबंधित संस्थान जो गृह/प्लॉट के लिए दरें निश्चित करते हैं द्वारा निश्चित की गई दर पर रियमित रूप से करूँगा।

I have gone through the conditions laid down for extending water connection to private building /plot and agree to abide the rules and regulations in force from time to time. Necessary pipe water supply may be extended to the above said building / plot shall make regular payment of water charges as fixed by the Executive Engineer, Public Health Engineering Division, APWD Port Blair or the aurtherity who is competent for providing water supply to the buiding/plot.

स्थान

दिनांक

Date:  
Place:

आवेदक के हस्ताक्षर  
Signature of Applicant

**CONDITION FOR PROVIDING INDIVIDUAL WATER  
TAP CONNECTION IN RURAL AREAS**

1. आवेदक को आंतरिक पाईप लाइन, आवश्यक यंत्रों को बिठाने एवं वितरक शाखा से कनेक्शन लेने का व्यय स्वयं उठाना होगा।
1. The expenditure of external pipe line including fittings beyond the distribution branches and making connection with CI GI distribution branches shall be incurred by the individual concerned.
2. आवेदक को CC चेम्बर एम.एस. लिमिटेड के साथ एंव स्टॉपकॉक के लिए लॉकिक व्यवस्था की संरचना प्रमाणित ढांचानुसार करनी चाहिए।
2. The C.C chamber with M.S Ltd with locking arrangement for stopcock should be constructed as per standard design by the applicant.
3. अनुमोदित कनेक्शन ½” (15mm) है। यथा उपभोक्ता के घर से वितरण तक ½” ड्राई जी.आई. पाईप बिछाना है। कनेक्शन से पूर्व या बाद में यदि कोई उल्लंघन हो तो बिना किसी सूचना/कारण के कनेक्शन रद्द कर दिया जायेगा।
3. The connection sanctioned is only ½”(15mm) i.e right from distribution the consumer end shall have only ½” dia G.I. Pipe laid. Any violation during or after connection without assigning any notice/reason at any time.
4. सभी सामान जिनमें पाईप लाईन, स्टॉपकॉक ताले के साथ, लॉकिंग व्यवस्था, पाईप लाईन बिछाना ये सभी कार्य आवेदक को अपने स्वयं के खर्च पर करना होगा। इन सबों का विस्तृत विवरण सहायक अभियंता, उपमंडल संख्या.....से प्राप्त किया जा सकता है।
4. Arrangement for all materials including pipe, stop cock with lock and locking arrangements shall be made by you at your own expenses. Details of the same can be ascertained from the Assistant Engineer, Sub-Division No.....of the Division.
5. कनेक्शन प्राप्त करने के स्थान के बारे में निर्णय प्रभारी अभियंता द्वारा लिया जाएगा। यदि पाईप लाईन निजी या सरकारी भूमि से होकर गुजरता है तो आवेदक को आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। रोड कटिंग की अवस्था में सड़क के पुनः मरम्मत हेतु निर्धारित अग्रिम शुल्क कार्यपालक अभियंता, अ.लो.नि.वि.विभाग या संबंधित कार्यालय में जमा करने होंगे।
5. Place for giving connection shall be decided by the Engineer-in-charge. In case the pipe line is passing through private or Govt. land necessary clearance shall be obtained by you. In case road cutting, cost of reconditioning the road as assessed by the Executive Engineer, PHED, APWD, shall be deposited in advance, by you.
6. जल के बिलों कर भुगतान प्रत्येक माह के 20वें दिन करने का प्रावधान है बशर्तें बिल मिले या न मिले। ऐसा न करने की सूरत में बिना किसी सूचना के कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन की पुनः बहाली की स्थिति में उपभोक्ता को 50 रुपये कनेक्शन शुल्क के रूप में देने होंगे।
6. Payment of the water charges at the rate enforced from time to time is to be made with in 20<sup>th</sup> of every month in respect of water charges bill have been sent or not. In case of failure to deposit water charges every month, the water connection shall be disconnected with one any notice. The connection charge of Rs.50/- (Rupees Fifty only) shall be payable in cast reconnection is decided to be given.
7. जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल टेप कनेक्शन का उद्देश्य घरेलू होगा चाहिए। घरेलू उद्देश्य के अलावा उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में कनेक्शन को बिना किसी सूचना के काट दिया जाएगा।
7. Tap connection will be for domestic purpose only keeping in view the extreme difficulty being faced by the individual. In case of any issue of water or use other than for domestic purpose the connection shall be disconnected without any notice.
8. विभागीय पाईप लाईन या उपभोक्ता या आवेदक से सीधे विद्युत पम्पों या यांत्रिकी का प्रयोग कर जल की निकासी आंतरिक जल टेप कनेक्शन काट दिया जाएगा।
8. Drawal of water directly by using electric pump or any mechanical means from the department pipe line or consumer and of pipe line by the applicant is violation of term and condition of providing I.W.T connection. If any one is found doing so, his connection will be disconnected without any notice.
9. प्रौद्योगिकी अन्यथा अन्य कारणों से अपर्याप्त दबाव/उपभोक्ता के घर तक जलापूर्ति, असमय जलाभाव के लिए अण्डमान लोक निर्माण विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। पानी की दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी एवं बंधित घण्टों में ही पानी की आपूर्ति तथाकथित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
9. APWD shall not be responsible in case of inadequate pressure or non- availability of water at any time due to technical reason or otherwise. No deduction in water charges will be admissible incase of break down of water supply and water will be available only during restricted houses of supply as regulated by the authority concern and no overhead tanks are permitted for storage water.
10. यदि आवेदक उपर्युक्त नियमों का अवलम्बन करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग स्वतंत्र रूप से प्रदत्त जल टेप कनेक्शन के आदेश का रद्द कर सकता है या फिर प्रदत्त टेप कनेक्शन को काट सकता है।
10. In case you fail to adhere to saw stipulations made as above the department shall be at liberty to cancel this order or dis-connect the tap connection given to you.

Signature of the applicant

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यपालक अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंडल,  
अंडमान लोक निर्माण विभाग  
पोर्ट ब्लेयर  
Executive Engineer  
PHED, APWD, Port Blair.

